इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 285] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 जुलाई 2021—आषाढ़ 17, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

क्र. एफ—ए—3—93—2017—1—पांच(45).— मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा—128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3—93—2017—1—पांच (162), दिनांक 29 दिसम्बर 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021—22 और उसके आगे की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा देय विलंब फीस की कुल राशि, जो देय तिथि तक प्ररूप जीएसटीआर—4 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, का अधित्यजन कर दिया जाएगा,—

(i) जो कि दो सौ पचास रुपए से अधिक है जहां उक्त विवरणी में देय राज्य कर की कुल राशि शून्य है;

(ii) जो कि एक हजार रुपये से अधिक है, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि (i) में शामिल व्यक्तियों के अलावा है.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

क्र. एफ—ए—3—93—2017—1—पांच(45).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3—93—2017—1—पांच (45), दिनांक 08 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 8th July 2021

No. F-A 3-93-2017-1-V(45).- In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Madhya Pradesh Goods And Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F-A 3-93-2017-1-V(162), dated the 29th December 2017, namely:–

In the said notification, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided also that the total amount of late fee payable under Section 47 of the said Act for financial year 2021-22 onwards, by the registered persons who fail to furnish the return in FORM GSTR-4 by the due date, shall stand waived,–

(i) which is in excess of two hundred and fifty rupees where the total amount of state tax payable in the said return is nil ;

(ii) which is in excess of one thousand rupees for the registered persons other than those covered under clause (i).".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2021.